न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी - **श्री महेन्द्र सोनी** आई.ए.एस.

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सिंडीकेट बैंक शाखा जालोर		1-मैसर्स खान बैग इण्डस्ट्रीज पता:-नीलकमल रेस्टोरेन्ट के पीछे भागली सिंधलान जालोर 2.श्री अकरमखान पुत्र श्री अनवर हुसैन निवासी इन्द्रपुरी कॉलोनी जालोर

विविध प्रकरण संख्या 16/2019

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

.....

-:आदेश:-

दिनांक:-18.07.2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि मैसर्स खान वैग इण्स्ट्रीज, पता नीलकमल रेस्टोरेन्ट के पीछे भागली सिंधलान जालोर, श्री अकरमखान पुत्र श्री अनवर हुसैन निवासी इन्द्रपुरी कॉलोनी जालोर ऋण खाता संख्या 83807910000579 में राशि रूपये 40,00,000/-(अक्षरे चालीस लाख रूपये) एवं ऋण खाता संख्या 8380140000277 में राशि रूपये 10,51,365.27/-अक्षरे दस लाख ईक्यावन हजार तीन सौ पैसठ रूपये एवं सताईस पैसे की ऋण/सुविधा शाखा जालोर के द्वारा स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी/ऋणियो/जमानतदारो ने आवश्यक दस्तावेज भी निष्पादित किये थे।

उक्त ऋण राशि अग्रलिखित प्रतिभूति आस्तियो से रक्षित है- गिरवीकृत अचल संपत्ति:- (1)प्लाट नंबर 54 व 55 खसरा नंबर 564/123 भागली सिंधलान जिला जालोर में स्थित है, जो कि श्री अकरम खान के नाम है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1056 वर्गफीट है।(2) चल संपत्ति:- मशीनरी जो कि बैक ऋण से क्रय की गई है। ऋण की अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी/जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजो को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से साम्यिक बंधक किया है।

ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणि के खाते को बैक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 28.09.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया था। बैक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 20.11.2018 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2)के अन्तर्गत रजि.ए.डी/कोरियर/यू.पी.सी.से मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण खाता 83807910000579 में राशि रूपये 34,61,483.62(अक्षरे रूपये चौतीस लाख इकसठ हजार चार सौ तियासी रूपये बासठ पैसे मात्र) दिनांक 31.10.2018 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त और ऋण खाता 8380140000277 में राशि रूपये 10,67,036.37(अक्षरे रूपये दस लाख सडसठ हजार छतीस रूपये सैतीस पैसे मात्र) दिनांक 31.10.2018 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त का भुगतान करने के लिये मांग की एवं उक्त मांग नोटिस के बिना तामील के लौट आने के कारण/तामिल की पावती बैक को प्राप्त नही होने के कारण मांग नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रो में किया गया था। बैक को ऋण खाता संख्या 83807910000579 में राशि रूपये 34,61,483.62(अक्षरे रूपये चौतीस लाख इकसठ हजार चार सौ तियासी रूपये बासठ पैसे मात्र) दिनांक 31.10.2018 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त ओर ऋण खाता संख्या 83801400000277 में राशि रूपये 10,67,036.37

कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट
जालोर (राज.)

(अक्षरे रूपये दस लाख सडसठ हजार छतीस रूपये सैतीस पैसे मात्र) दिनांक 31.10.2018 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त ऋणी/जमानतदारो से लेना है। बकाया ऋण राशि को वसूल करने के लिये बैक को गिरवीकृत/हाइपोथिकेटेड परिसम्पत्ति अचल संपत्तिः- (1)प्लांट नंबर 54 व 55 खसरा नंबर 564/123 भागली सिंधलान जिला जालोर में स्थित है, जो कि श्री अकरम खान के नाम है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1056 वर्गफीट है।(2) चल संपत्तिः- मशीनरी जो कि बैक ऋण से क्रय की गई है, का कब्जा लेकर बिक्री करना है।

उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे या नियत्रंण में लेकर प्रतिभूति लेनदार(बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है।

पत्रावली का अवलोकन में पाया गया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैक से रूपये 40,00,000/ अक्षरे चालीस लाख रूपये का ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण के बदले में ईकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा ऋण वसूली के लिये नियमानुसार धारा 13 (2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करना पाया गया है।

वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गई संपति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार हैः-(1) प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में प्रतिभूत लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूत आस्तियो का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियो का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत किये जाने की आवश्यकता हो,तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये,लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो भी स्थिति हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजो का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियो और दस्तावेजो को भेजेगा।
(2) उप धारा (1) के प्रावधानो के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतित होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक जालोर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व की संपति के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना जालोर को निर्देशित करे कि वे उपर्युक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे। आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.04 11:13:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: